न्यायालय बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 15.05.2024

प्रकरण संख्या : 30 / दावा / 2020 तारीख दायरा : 04.08.2020

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2020 / 00058

उनवान

कशनीबाई पुत्री मोती जोजे गिरधारी जाति लोधा निवासी खोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड

---------वादनी

बनाम

1–रामलाल वल्द मोतीलाल जाति लोधा निवासी गुलखेडी तह0 अकलेरा जिला झालावाड राज0

2–स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तह0 अकलेरा जिला झालावाड राज0

3–शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया शाखा घाटोली तह0 अकलेरा जिला झालावाड राज0

------प्रतिवादीगण

धारा–88,91,53,92 (ए) राज0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

उपस्थिति – वकील वादनी श्री दुर्गाशंकर गोयल

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने जर्ये अधिवक्ता वाद धारा 88,91,53,92(ए) राज0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुलखेडी तह0 अकलेरा के माल में नई खातोनी संख्या 79 की खसरा नम्बर 407 की 1 बीघा 16 बिस्वा 546 की 1 बीघा 5 बिस्वा 547 की 1 बीघा 550 की 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 की 5 बीघा 7 बिस्वा आराजी विभाजन से प्रतिवादी नम्बर 1 रामलाल के खाते दर्ज हुई है। वाद में मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी विभाजन के पूर्व भैरूलाल लक्ष्मण रामलाल कशनीबाई व रूपाबाई के व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज थी जिसमें कशनीबाई का 1/10 हिस्सा था नकल जमाबंदी ग्राम गुलखेडी तह0 अकलेरा सम्वत् 2071 से 2074 पेश है। यह कि प्रतिवादी नं0 1 रामलाल द्वारा चालाकी से वादनी से उसके हिस्से कि आराजी पर लोन लेने की कहकर हकत्याग पर दिनांक 22.06.2009 को उप पंजीयन कार्यलय में वादनी को धोखा देकर तस्दीक करा लिया जो वादनी के टीनेन्सी अधिकार पर बेअसर है। यह कि कानूनन भी रिलीज डीड (हकत्याग पत्र) के आधार पर कोई टीनेन्सी अधिकार ट्रान्सफर नही किये जा सकते है इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 को वादनी के हिस्से कि 1/10 भाग आराजी पर किसी प्रकार के टीनेन्सी अधिकार प्राप्त नही होते है तथा उक्त रिलिज डीड दिनांक 22.06.2009 वादनी के टीनेन्सी अधिकार पर बेअसर है तथा रिलिज डीड के आधार पर खोला गया नामान्तरण संख्या 366 दिनांक 20.07.2009 निरस्तनीय है नकल इन्तकाल नम्बर 366 दिनांक 20.07.2009 ग्राम पंचायत गुलखेडी व नकल रिलिज डीड दिनांक 22.06.2009 को पेश है। यह कि ग्राम गुलखेडी के माल की खसरा नम्बरान क्रमश 337 की 1 बीघा 2 बिस्वा 338 की 3 बिस्वा 407 की 1 बीघा 16 बिस्वा 539 की 5 बीघा 11 बिस्वा 540 की 2 बीघा 10 बिस्वा 546 की 4 बीघा 6 बिस्वा 547 की 3 बीघा 16 बिस्वा, 550 की 4.09 बीघा कुल जुम्ला 8 किता की 23 बीघा 13 बिस्वा में वादनी का 1/10 हिस्सा था उक्त आराजी में से प्रतिवादी नं0 1 रामलाल द्वारा अपने हिस्से कि 3/10 भाग आराजी का विभाजन करा कर अपने पृथक खाते दर्ज करा ली है जो आराजी वाद कि मद नं0 1 में दर्ज है। वादनी कि 23 बीघा 13 बिस्वा आराजी में 1/10 हिस्सा थ जिसमें वादनी का 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी बनती है वादनी वादी की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी की खतेदार टीनेन्ट घोषित होकर आराजी का बटवारा करा का मोके पर कब्जा प्राप्त करने के

कारी है। यह कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा किये गये घोखे से निष्पादित कराये रिलिज डीड की नकारी प्रथमबार दिंनाक 15.06.2020 को वादनी को होने पर रिलिज डीड जमाबंदी नामान्तकरण कि नकल ली तथा वादनी द्वारा नं0 1 रामलाल के रिलीज डीड धोखे से कराने बाबत् दिनांक 20.06.2020 को कहा तथा रिलीज डीड को खारिज करा कर आराजी अपने खाते दर्ज कराने तथा बटवारा कराने की कहने पर असहमति व्यक्त करने पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी नं. 1 वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को रहन बेचान अन्तरण अन्तरण करने पर आमदा हुआ है यदि उसने आराजी को बेचान कर अन्तरण कर दिया तो वादनी अपने हक से महरूम हो जावेगी तथा वादनी को अपूर्णित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी तथा आपस में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादनी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद में वर्णित गुलखेडी तह0 अकलेरा के माल में नई खातोनी संख्या 79 की खसरा नं. 407 की 1 बीधा 16 बिस्वा 546 की 1 बीधा 5 बिस्वा 547 की 1 बीधा 550 की 1 बिस्वा कुल किता 4 की 5 बीध I7 बिस्वा आराजी में`से वादनी को 2 बीधा 7 बिस्वा आराजी को खातेदार टीनेन्सी घोषित किया जाकर वादनी को हिस्से कि आराजी का विभाजन किया जाकर वादनी के पृथक खाते दर्ज कि जावे तथा वादनी को आराजी पर नापकर कब्जा सम्भलाया जावे तथा रिलिज डीड दिनांक 22.06.2009 का नामान्तकरण नम्बर 366 दिनांक 20.07.2009 ग्राम पंचायत गुलखेडी की वादनी के हिस्से तक वादनी के टीनेन्सी अधिकारो पर बेअसर घोषित किया जावे। इस बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादनी की एक तरफा साक्ष्य ली जाकर बहस अधिवक्ता श्रवित की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक रिकार्ड वादनी द्वारा दिनांक 22.06.2009 पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अपना हक त्याग प्रतिवादी नम्बर 1 रामलाल के पक्ष मे किया गया है। वादनी का कथन की उक्त दस्तावेज वादनी को धोखे मे रखकर व लोन लेने की कहकर कराया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पंजीकृत दस्तावेज गवाहो की उपस्थिति मे किया जाता है। अतः उक्त दस्तावेज के आधार पर की गई कार्यवाही को बेअसर घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। वादनी अपने वाद को सिद्व करने मे असमर्थ है अतः वाद वादनी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी किया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा
उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)